बिहार विधान-सभा-वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ३१ अगस्त; १९५०

भारत के संविधान के अनुबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन राँची के सभा बेशय में बृहस्पतिवार तिथि ३१ अगस्त, १९५० को ११ बजे सुबह में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

गत सत्र से लंबित प्रश्नों के उत्तर

माननी श्री डा० अनुग्रह नारायण सिंह:— मैं गत सत्र से लंबित १९१ प्रश्नों में से ६१ प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूँ।

सरकारी नौकरी में हरिजनों का स्थान।

१।, श्री *शिवनन्दन राय:*— क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि नौकरियों में हरिजनों के लिये जगह सुरक्षित रहने पर भी यह देखा गया है कि हरिजनों को उनके आबादी के अनुपात से नौकरी नहीं मिलती;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' में है तो जो अफसर सरकार के आदेश का, बहाली करने के समय अवहेलना करते हैं उनके विरुद्ध कौनसी कार्रवाई की जानी है, यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डा०- श्री कृष्णसिंह:—

(क) सरकार ने नियुक्ति-प्राधिकारियों के लिये समय समय पर अनुदेश दिए हैं कि वे इसका ध्यान रखें कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार अपनी जनसंख्या के प्रतिशत भाग के अनुसार १२ % रिक्तियों में नियुक्त किए जाते हैं। सरकार के यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन अनुदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

(ख) सरकार कृतज्ञ होगी, यदि माननीय सदस्य अफसरों द्वारा आदेशों की अवहेलना के विशिष्ट उदाहरण उसके सामने रखें।

राजनीतिक पीड़ित, जो सब-डिप्टी या डिप्टी मजिस्ट्रेट बहाल हुए।

श्री देवशरण सिंह:— क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) कितने राजनीतिक पीड़ितों ने डिप्टी मजिस्ट्रेट, सब डिपुटी मजिस्ट्रेट के ओहदे के लिये सन् १९४५ ई० से लेकर सन् १९४९ ई० के दिसम्बर मास तक आवेदन-पत्र दिये;

श्री *जगन्नाथ सिंह* :— इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि B. L. cases में bail देना अनुचित है। क्या सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए विचार कर रही है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :— इस कानून में संशोधन करने का काम भारत सरकार का है।

श्री *जगन्नाथ सिंह* :— आप उसे इस मामले में move कर सकते हैं ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय :— अभी कोई ऐसी बात सरकार के सामने नहीं है।

हथुआ राज के वकीलों की फीस।

१४। श्री *मूजन सिंह* : क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग यह बताने कि कृपा करेंगे कि—

(क) अतारांकित प्रश्न संख्या ६८, ता० २५ अप्रैल, १९५० के उत्तर के खंड (ख) में सरकार जिस निष्कर्ष पर पहुंची है उसका आधार क्या है;

(ख) क्या यह बात सही है कि एक हीं योग्यता के वकीलों को एक ही प्रकार के काम के लिए हथुआ औरा बेतिया के राज्यों के सरकारी प्रबन्ध में दो तरह की फीस दी जाती है :

(ग) क्या यह बात सही है कि हथुआ राज्य के गोपालगंज ला एजेन्सी के प्रभारी वकील श्री यमुना राम शर्मा ने एक आवेदन पत्र माननीय राजस्व मंत्री. तारीख १९ दिसम्बर, १९४९ को गोपालगंज से भेजा था जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि निम्नलिखित कार्यों के लिए उन्हें कोई फीस नहीं मिलती है और जो मिलती भी है वह समय के प्रचलित फीसों के हिसाब से बहुत कम है, यथा —

(a) Drafting plaints and written statements, arguments, complaints rejoinders and opinions, conducting money suits, miscellaneeus and certificate and revenue cases कोई फीस नहीं।

(b) तीन घन्टे तक Title suits and criminal cases को conduct करने का फीस केवल चार रुपये, तीन घन्टे से अधिक के लिये आठ रुपये।

(घ) क्या माननीय मत्री ने उपरोक्त आवेदान-पत्र पर विचार किया है, यदि 'हां' तो उसका क्या फल हुआ, यदि 'नहीं' तो क्यों;

(ङ) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज के हथुआ राज्य के वकीलों की फीस का प्रश्न वहां के भूतपूर्व जेनरल मैनेजर बाबू रजनधारी सिंह के समय से ही रिविजन के लिए बार-बार उठाया जाता रहा है और सभी अधिकारी उस पर उचित विचार नहीं कर यों ही टालमटोल का उत्तर दे देते हैं ?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय:—

(क) विभिन्न वार्डों तथा इन्कम्बार्ड इस्टेटों की विभिन्न स्थितियों को मद्दे-नजर रखते हुए वकीलों के लिये एक समान फीस निश्चित नहीं की जा सकती।

वकीलों की वर्त्तमान फीस में किसी प्रकार का अदल बदल करने में अपनी लाचार दिखलाते हुए बोर्ड ने स्थानीय अफसरों को यह सुझाव दिया था कि सरकारी काम करने वाले वकीलों की जिस दर से फीस दी जाती है तथा यथा संभव उसी के आधार पर कमिश्नर द्वारा वकीलों की श्रेणियाँ बना दी जायं। खास २ मुकदमों में खास २ फीस दी जाय। वार्डस मैन्युपल के नियम २६१ के अनुसार कलक्टर और कमिश्नर की मर्जी पर यह छोड़ दिया गया है कि वे मुकदमे की किस्म तथा जिले के ठीक करें। इसलिये बोर्ड ने विचार है कि फीसों की एक समान श्रेणी निश्चित करना संभव नहीं है।

(ख) वकीलों की फीस उनकी हैसियत और दिये गये काम पर पूरा विचार कर लेने के बाद निश्चत की जाती है। एक ही योग्यता वाले वकीलों की फीस भी तकही समान होना आवश्यक नहीं है। एक सीनियर तथा दूसरे जूनियर दो वकीलों की योग्यता तक हो सकती हैं परन्तु उनकी फीस की दर तक नहीं हो सकती

(ग) उत्तर 'ना' में है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

(ङ) यह सही नहीं है कि राज के भूतपूर्व मैनेजर श्री रजनधारी सिंह के ही समय से जब कभी गोपाल गंज स्थित हथुआ राज के वकीलों की फीस के पुनरीक्षण (रिभासन) का प्रश्न उठाया गया तो अधिकारियों ने उस पर विचार नहीं किया। इसके विपरीत अधिकारियों ने हमेशा ही जब कभी यह प्रश्न उठाया गया इस पर सावधानी से विचार किया।

श्री जगन्नाथ सिंह:— मैं जानता हूँ कि एकही प्रकार के मुकदमें के लिये वकीलों की फीस क्या एक किस्म की नहीं होती और नहीं तो क्यों?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय:— फीस की दर वकील की काबलियत और मुकदमा की गम्भीरता पर निर्भर है।

श्री जगन्नाथ सिंह:— बेतिया कोर्ट आफ वार्डस में फीस की क्या दर है और वही दर दूसरे कोर्ट आफ वार्डस में क्यों नहीं लागू होता है?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय:— कोर्ट आफ वार्डस में हमलोग एक प्राइभेट जमींदारी की तरह बीहेव करते हैं। बेतिया राज बड़ा है और उसकी आमदनी हथुआ राज से अधिक है इसलिए दोनों के फीस का दर एक नहीं हो सकता है।

मुसन महतो की जमीन

*श्री सुन्दर महतो पासी:—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) शुक्रवार, १४ अप्रैल, १६५० को प्रश्न संख्या ११९ में मुसन महतो की जमीन के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था मुसन महतो की जमीन अदालत के विचाराधीन है, उसका आधार क्या है;